

**उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**  
**ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर**

उपभोक्ता परिवाद सं०: 122/2023-24

दिनांक : 26.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती  
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी  
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट  
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री रविन्द्र सिंह,  
ग्राम भूडा किशनी, खटीमा।

परिवादी

बनाम  
अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

विपक्षी

**निर्णय**

परिवादिनी श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री रविन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.07.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-KH1K138225725 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। इस सम्बन्ध में शिकायत करते हुए चैक मीटर लगवाने हेतु रु० 118.00 भी जमा करा दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर लगे विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता, वि०वि०ख०, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 01.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 03.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 03.08.2023, 22.08.2023, 05.09.2023 व 26.09.2023 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री अम्बिका यादव, उपखण्ड अधिकारी के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-816 दिनांक 20.09.2023 के

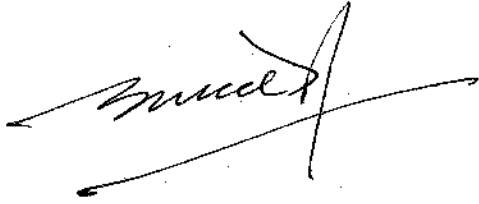
क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के बड़े हुए विद्युत बिल व विद्युत मापक की जांच हेतु विद्युत प्रयोगशाला सितारगंज द्वारा दिनांक 03.08.2023 को परिवादिनी के परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया जिसे दिनांक 16.08.2023 को फाइनल किया गया जिसमें परिवादिनी के परिसर पर लगा पुराना विद्युत मापक सामान्य पाया गया। इसी कारण परिवादिनी के विद्युत बिलों में संशोधन करना सम्भव नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

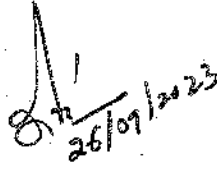
प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को लगातार मीटर यूनिट के बिल निर्गत किए गए हैं। मीटर की जांच हेतु विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 03.08.2023 को परिवादिनी के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 16.08.2023 को चैक मीटर फाइनल किया गया, जिसमें परिवादिनी का पुराना मीटर सही चलता पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी का पुराना मीटर त्रुटिपूर्ण नहीं है। अतः मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत विद्युत बिल पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

### आदेश

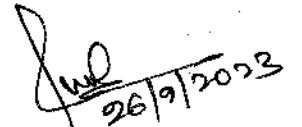
परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)  
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)  
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)  
उपभोक्ता सदस्य